हमीदखां बनाम बरकत आदि

प्रकरण सं. 91/2025 अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील अप्राथी/वादी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद के अलावा अन्य दो वाद इसी न्यायालय इसी भूमि से संबंधित पेश कर रखे है जिसमें वादी स्वयं उन वादों में वादी है। उक्त दों वाद अनवान सफी खां आदि बनाम सरकार व अन्य मु.नं. 94/25 है जिसमें वादी बतौर वादी सं. 6 पर पक्षकार है तथा दूसरा वाद सफीखां आदि बनाम बरकत आदि है जिसमें मुकदमा नं. 349/2024 है जिसमें उक्त वाद का वादी बतौर वादी सं. 6 पर पक्षकार है। सफीखां आदि बनाम बरकत आदि वाद प्रस्तुत होने के बाद वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया गया है। इसलिये उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। दुसरी तरफ वकील वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त दावा के अलावा एक अन्य वाद तहसीलदार के विरूध दूरूस्ती हेतू पेश किया गया हैं तथा एक अन्य वाद जो पूर्व में पेश किया गया था उसमें राजीनामा होने के कारण विड्रा कर लिया गया था। वाद संख्या 94/2025 दूरूस्ती हेतू तहसीलदार रावतसर के विरूध पेश किया गया था एवं वाद संख्या 349/2024 में राजीनामा होने के कारण खारिज करवा लिया गया था परन्तु अब प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी देने एवं कृषि भूमि को रहन बैय करने की धमकी देने के कारण उक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त दावा में वादी को वाद कारण हासिल हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद वादी द्वारा मुकदमा सं. 349/2024 अनवान सफीखां आदि बनाम बरकत आदि एवं मुकदमा सं. 94/2025 सफी खां आदि बनाम स्टेट आदि पेश किये जा चुके है। जिनके वादीगण व प्रतिवादी समान है तथा उक्त दोनों वाद वर्तमान में विचाराधीन है। जिस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि वादी उक्त दोंनों वादों में बतौर वादी पक्षकार है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वी[illegible] हुए वाद वादी मौजुदा स्थिति में खारिज किया जाता है। [illegible] वहन करेंगे। आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को खुले [illegible] सुना[illegible]या। Signature Not Verified Digitally signed by Sanjay Kumar Date: 2025.12.30 18:27:02 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	